अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

सोमोती बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र

मु0नं0–64 / 2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30.05.2025 | पत्रावली पेश हुई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अपने पति का नाम सीताराम के स्थान पर खैरातीलाल करवाने बाबत निवेदन किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार से जांच रिपोर्ट भी ली गई है। मुताबिक तहसीलदार जांच रिपोर्ट ग्राम मोहलाई के नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 14.12.1985 के द्वारा मृतक सीताराम के स्थान पर सोमोती पत्नि सीताराम उर्फ खैरातीलाल स्वीकृत हुआ था। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि खैरातीलाल एवं सीताराम एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।<br>अतः प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एलआरए स्वीकार कर ग्राम मोहलाई तह0 बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 138 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के पति का नाम सीताराम के स्थान पर खैरातीलाल किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।<br>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय जिला दौसा | |